अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः– प.3( )आकृ/लेखा/PAYMANAGERDATA/2020–21/ **दिनांकः–**

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
कृषि विभाग

विषयः–विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के पे–मेनेजर पर मास्टर डेटा की जांच कर प्रमाणित (Verification) कराये जाने के संबध मे।

प्रसंगः– वित्त एवं आर्थिक मामलात विभाग राज. जयपुर के पत्रांक एफ 5 (थ–75) डी.टी.ए. /आईएफएमएस/पे–मेनेजर/3314–3514 दिनांक 22.07.2020 एवं आयुक्तालय कृषि विभाग के आदेश क्रमांक प. 3 ( ) आ.कृ./लेखा/पे–मेनेजरडाटा/2020–21/ 51–250 दिनांक 28.07.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त एवं आर्थिक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ5(थ–75) डीटीए/IFMS/पे–मैनेजर/3314–3514 दिनांक 22.07.2020 के द्वारा मुख्ययताः कार्मिकों का मास्टर डेटा आदिनांक तक पूर्णतया अधिकृत न किये जाने के कारण तथा संवेतन प्रकिया के संभावित व्यवधान को दृष्टिगत रखते हुऐ अवधि को **संवेतन माह सितम्बर 2020 देय माह अक्टूबर 2020** किया गया है के क्रम आयुक्तालय कृषि विभाग के आदेश क्रमांक प. 3( )आ.कृ./लेखा/पे–मेनेजर/2020–21/51–250 दिनांक 28.07.2020 के द्वारा समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों एवं समस्त उप विभागाध्यक्षों/संयुक्त निदेशक कृषि खण्डीय कार्यालयों को कार्मिको के पे–मेनेजर पर मास्टर डेटा की जांच कर अद्यतन कर प्रमाणित (Verification) के करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु आदिनांक तक उक्त कार्य को आपके द्वारा प्राथमिकता नही दी गई है।

अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारीयों एवं उप विभागाध्यक्षों (Sub HOD) संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्डीय कार्यालयों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि खण्ड के अधीन आने वाले समस्त अधिनस्थ कार्यालयों मे कार्यरत कार्मिकों के पे–मेनेजर पर मास्टर डाटा अद्यतन उपरान्त जांच कर प्रमाणित (Verification) करने हेतु उप विभागाध्यक्ष (Sub HOD) के माध्यम से विभागाध्यक्ष HOD को दिनांक 25.09.2020 तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावे, ताकि संवेतन प्रकिया में कोई व्यवधान नही हों एवं कार्मिकों को समय पर वेतन का भुगतान किया जा सके। उक्त निर्धारित तिथि तक मास्टर डाटा नही भिजवाने की दशा मे वेतन आहरण में होने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई/परेशानी के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष (Sub HOD) खण्डीय कार्यालय स्वयं ही उत्तरदायी होगे।

कार्मिकों के पे–मेनेजर पर मास्टर डाटा को प्रमाणीकरण (Verification) संबधी कार्य को प्राथमिकता दी जावे।

—sd—
(सीताराम जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशा.)

क्रमांकः– प.3( )आकृ/लेखा/PAYMANAGERDATA/2020–21/224-423 **दिनांकः– 17-9-2020**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. समस्त उप विभागाध्यक्ष (Sub HOD)/संयुक्त निदेशक कृषि, (विस्तार) खण्ड।
2. एसीपी मुख्यालय जयपुर को विभागीय साइट पर अपलोड करने हेतु।

(गजानन्द यादव)
उप निदेशक कृषि (गु.नि.)
आहरण एवं वितरण अधिकारी